



2026:AHC:163522

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27099 / 2026

सचिन गिरी उर्फ शिवा

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार यादव, करुणेश प्रताप सिंह

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री करुणेश प्रताप सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री विजय बहादुर मौर्य को सुना।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 161/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 103(1), 140(1), 352, 238, 351, 3(5) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - खजनी, जिला - गोरखपुर में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले की एफआईआर 25.05.2026 को दोपहर 15:47 बजे 13 व्यक्तियों (गैर-आवेदक) और 8-10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी और एफआईआर के अनुसार, नामजद अभियुक्तों ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर सूचनादाता के बेटे की हत्या की थी, लेकिन विवेचना के दौरान जब

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवेचना अधिकारी ने मृतक के भाई अभिजीत का बयान दर्ज किया, तो उसने खुद को चश्मदीद साक्षी बताया और नामजद अभियुक्तों के साथ-साथ उसने आवेदक और दो अन्य लोगों के नाम भी बताए।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में साक्षी अभिजीत समेत कोई भी वास्तविक घटना को नहीं देख सका और यह तथ्य विवेचना रिपोर्ट से स्पष्ट है, जिसे पेपर-बुक के पृष्ठ-36 पर संलग्न किया गया है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि पंचनामा से पता चलता है कि मृतक का शव पड़ा हुआ था और सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने से पहले पंचनामा की गई थी और उसके बाद मृतक के परिवार वालों को सूचित किया गया था, इसलिए यह तथ्य मृतक के भाई अभिजीत के बयान को पूरी तरह से गलत साबित करता है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो उसे वर्तमान अपराध से जोड़ सके।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 30.05.2026 से जेल/कारागार में है।

9. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और साथ ही सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।

11. हालांकि, आवेदक का नाम एफआईआर में दर्ज था, लेकिन मामले का सूचनादाता चश्मदीद साक्षी नहीं था। इससे पता चलता है कि आवेदक का नाम पहली बार मृतक के भाई अभिजीत के बयान के माध्यम से सामने आया, जिसने खुद को चश्मदीद साक्षी बताया था। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पंचनामा किया जा चुका था और पंचनामा रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक का शव कहीं पड़ा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पंचनामा किया गया

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उसके बाद मृतक के परिवार वालों को सूचित किया गया और फिर एफआईआर दर्ज की गई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में गुण-दोष पाता है कि उपरोक्त तथ्य मृतक के भाई अभिजीत के बयान को पूरी तरह से गलत साबित करता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि घटना को किसी ने भी देखा हो, जिसमें वह भी शामिल है।

12. इसके अतिरिक्त, इससे यह भी पता चलता है कि अभिजीत साक्षी के बयान और सह-अभियुक्त के पुलिस के समक्ष दिए गए संस्वीकृति के अलावा, आवेदक के खिलाफ अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

13. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन दोनों मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं।

14. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 30.05.2026 से जेल/कारागार में है।

15. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

16. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

17. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **सचिन गिरी उर्फ शिवा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

18. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 5, 2026

अंकिता

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।